# HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

(Court's order whether the case is or not approved for reporting)

(Chapter VIII Rule 32 (2)(b)

Description of the case.

W.P. No. 984/04 (M/S)

Tarai Kala Sangam Shri Ram Leela Committee

VS

Civil Judge (J.D.) Udham Singh Nagar and antoher

Approved for reporting.

_____

~~Not approved for reporting~~

Date of decision 13th October 2004.

Initial of Judge

**HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL**

Writ Petition No. 984 of 2004 (MS)

Tarai Kala Sangam Shri Ram Leela
Committee, Govindpur, District
Udham Singh Nagar ..... Petitioner

Versus

Civil Judge (J.D.) Udham Singh Nagar
& antoher ..... Respondents

Sri Sudhi Singh, Advocate for the petitioner
Sri B.C. Pandey, Sr. Advocate assisted by Sri Naresh Pant

Dated: October 13, 2004

**Hon. Rajesh Tandon J.**

Heard the learned counsel for the parties.

By the present writ petition the petitioiner has prayed for quashing of the order dated 5.10.2004 passed by the respondent no.1 in Civil Suit No. 32 of 2000 Shambhu Prasad Joshi vs. Tarai Kala Sangam Sri Ram Leela Committee and others.

Briefly stated a suit was filed by the plantiff respondent no.2 being suit No. 32 of 2000 for grant of permanent injunction on plot no. 779 area 9000 sq. feet situated at village Gularbhoj, Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar.

The petitioner has filed a written statement alongwith the counter claim stating therein that the school of the respondent

no.2 is situated in the area 20 x 50 sq. feet and in the alleged map the respondent no.2 has included the land of the petitioner's society.

The plantiff respondent no.2 has filed an application 5-Ga for grant of interim injunction. The petitioner has also filed application for grant of interim injunction.

Respondent no.1 on 30.1.2001 has allowed both the applications. The order dated 30.1.2001 is quoted below:

इसके अतिरिक्त वादी ने जो दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है। उनमें दस्तावेज सं0 85ग /1 पेशकर गदरपुर द्वारा जारी किये गये विवादित स्कूल के नक्शे की प्रतिलिपि है। ये दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसमें विवादित स्कूल की पूरी पैमाईश भी वर्णित है, साथ ही साथ रामलीला मंच भी इस नक्शे में विघमान दिखाया गया है। दस्तावेज सं0 85ग /2 तराई कला संगम द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखे गये पत्र की फोटो प्रतिलिपि है।

"उपरोक्त दस्तावेज में पेशकर गदरपुर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खसरा नं0 52 व 53 में रामलीला मैदान स्थित है। इसकी चारो और से पैमाइश पूरब मे 89 फिट, पश्चिम में 133.5 फिट, उत्तर में 180 फिट तथा दक्षिण में 226 फिट है। दस्तावेज सं0 81ग /1 प्रतिवादी पक्ष के लिये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये दस्तावेज रामलीला मैदान की चौहददी वर्णित करता है और एक सरकारी कर्मचारी द्वारा इसे जारी किया गया है।"

"इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज सं0 81 ग /12 से यह स्पष्ट है कि दस्तावेज सं0 81 ग /12 में वर्णित पैमाईश पर प्रतिवादी सं0–1 का रामलीला ग्राउण्ड स्थापित है वे उस पर अध्यासी है। उपरोक्त संपत्ति के संबंध में प्रार्थनापत्र 61 ग के तारतम्य में प्रतिवादी का प्रथमदृष्टया वाद बनना पाया जाता है। सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में है एवं प्रार्थनापत्र 61 ग के स्वीकार न किये जाने से प्रतिवादी को अपूरणनीय क्षति कारित होना संभावित है। प्रार्थनापत्र 5 ग तथा प्रार्थनापत्र 61 ग तदनुसार स्वीकार होने योग्य पाये जाते है।"

इसके अतिरिक्त वादी ने जो दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है। उनमें दस्तावेज सं0 85ग /1 पेशकर गदरपुर द्वारा जारी किये गये विवादित स्कूल के नक्शे की प्रतिलिपि है। ये दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसमें विवादित स्कूल की पूरी पैमाईश भी वर्णित है, साथ ही साथ रामलीला मंच भी इस नक्शे में विघमान दिखाया गया है। दस्तावेज सं0 85ग /2 तराई कला संगम द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखे गये पत्र की फोटो प्रतिलिपि है।

"उपरोक्त दस्तावेज में पेशकर गदरपुर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खसरा नं0 52 व 53 में रामलीला मैदान स्थित है। इसकी चारो और से पैमाईश पूरब मे 89 फिट, पश्चिम में 133.5 फिट, उत्तर में 180 फिट तथा दक्षिण में 226 फिट है। दस्तावेज सं0 81 ग /1 प्रतिवादी पक्ष के लिये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये दस्तावेज रामलीला मैदान की चौहददी वर्णित करता है और एक सरकारी कर्मचारी द्वारा इसे जारी किया गया है।"

"इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज सं0 81 ग /12 से यह स्पष्ट है कि दस्तावेज सं0 81 ग /12 में वर्णित पैमाईश पर प्रतिवादी सं0–1 का रामलीला ग्राउण्ड स्थापित है वे उस पर अध्यासी है। उपरोक्त संपत्ति के संबंध में प्रार्थनापत्र 61 ग के तारतम्य में प्रतिवादी का प्रथमदृष्टया वाद बनना पाया जाता है। सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में है एवं प्रार्थनापत्र 61 ग के स्वीकार न किये जाने से प्रतिवादी को अपूरणनीय क्षति कारित होना संभावित है। प्रार्थनापत्र 5 ग तथा प्रार्थनापत्र 61 ग तदनुसार स्वीकार होने योग्य पाये जाते है।"

No appeal was preferred against the aforesaid order by any of the parties and the said order has become final.

The counsel for the respondent has submitted that a commission was issued as per direction of the order dated 30.1.2001 who has reported regarding change of the site by the Ramleela Committee giving rise to the subsequent order, which has been challenged in the present proceedings.

Petitioner has filed a report of the Advocate Commissioner dated 5.7.2004 which shows that the stage of the Ram Leela is situated on the same site, the report is quoted below:-

"रामलीला मैदान की पश्चिमी पूर्वी व दक्षिणी सीमा पर पुरानी नींव पर दीवाल बनी हूई है दक्षिणी दीवार से जिज्ञासा पब्लिक स्कूल से लगी हूई है करीब 4.5 फीट ऊॅची कुछ दूरी तक निर्भित है जिसमें जिज्ञासा पब्लिक स्कूल का लोहे का गेट

बाहर आने जाने हेतु लगा है गेट की पश्चिम की ओर बाहर एक खोखा पान का पड़ा हुआ है। रामलीला मैदान के पूर्व में खाडन्जा, पश्चिम में गोशाला रोड, दक्षिण में खाडन्जा बाद आबादी तथा जिज्ञासा पब्लिक स्कूल का भवन व प्रागंण है तथा रामलीला मैदान के उत्तर में मकान व दुकाने है रामलीला मैदान के भीतर सिमेंन्ट का गडा पीलर टूटा हुआ सतह के बराबर दिख रहा है जिसे नक्शा नजरी में दर्शाया गया है।

विवादित स्थल पर मौका मुआयना से ज्ञात हुआ कि रामलीला मैदान के दक्षिणी दिशा की ओर जो दीवाल 4.5 फिट ऊॅची बनाई हुई है वह पुरानी नींव पर ही निर्मित की गई है जो जिज्ञासा पब्लिक स्कूल की उत्तरी सीमा तथा रामलीला मैदान की दक्षिणी सीमा कहलाती है तत्पश्चात जिज्ञासा पब्लिक स्कूल निर्मित है।"

From the plaint averment it appears that from the very beginning there is a dispute with regard to the are of the school as will appear from paragraph 9 of the plaint as well as from the reply and counter claim of the petitioner. The same are reproduced as under:

"यह कि विघालय के आगे विघालय की खाली प्रागंण (भूखण्ड) जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा सीमांकित भी है उक्त भूखण्ड में विघालय के छात्र छात्राओं का क्रीडा स्थल एव प्रार्थना स्थल है तथा जाडो में समस्त कक्षायें उपरोक्त मैदान में ही लगाई जाती है। जिससें प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नही है।"

"यह कि विघालय का उपरोक्त भूखण्ड जिसे प्रतिवादीगण जबरन गैर कानूनी ढंग से बदमाशी के बल पर कब्जा करना चाहते है, वाद के साथ संलग्न नक्शा नजरी में लाल रंग की स्याही से चिन्हित किया गया है उपरोक्त नक्शा नजरी वाद पत्र का एक भाग है।"

"यह कि प्रतिवादीगण द्वारा विघालय के पश्चिम में आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि में ही रामलीला ग्राउण्ड बनाया गया है तथा व्यक्तिगत राजनीतिक कारणे से प्रतिवादीगण विघालय की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मं रहते है कई बार विघालय में लगे नल को भी उखाड लिया गया जिसके संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस द्वारा नल की बरामदगी उपरोक्त लोगो से कर विघालय को सौपा गया।"

"यह कि विघालय की पश्चिम दिशा में स्थित रामलीला ग्राउण्ड के पदाधिकारी प्रतिवादी उपरोक्त पश्चिम तरफ से बाउन्ड्री तार बाडकरने का प्रयास कर चुके है जो कि उपरोक्त विघालय की भूमि में अतिक्रमण कर तथा विघालय के प्रागंण पर कब्जा कर रामलीला ग्राउण्ड में मिलाने और स्कूल को क्षति पहुॅचाने की गरज से उनका प्रयास जारी है।"

Paragraphs 8.9.10

"यह कि वाद का पद सं0–8 कतई गलत है स्वीकार नही वादी के विघालय की उत्तर की ओर का खुला स्थान उत्तरदाता प्रविवादी सं0–1 द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाता है तथा सम्पूर्ण मैदान पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बाजार लगाया जाता हे शेष विवरण अतिरिक्त कथन में दिया जा रहा है।"

"यह कि वाद पत्र का पद सं0 9 कतई गलत है स्वीकार नही वादी द्वारा विवादित स्थल की कतई गलत नक्शा नजरी तैया किया गया है।"

"यह कि वाद पत्र का पद सं0 10 कतई गलत है स्वीकार नही उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा अपने रामलीला मैदान को चोरों और कटीले तारी बाड लगाई है तथा वादी के विघालय एवं रामलीला मैदान की सीमा को विभाजित करने वाले स्थल पर पक्की ईटो की बाउन्उड्री वाल बनाये जाने हेतु

पक्की नीव लगभग 100 फिट लम्बी है इस नीवं  के साथ साथ लगे हुये तारबाड को वादीद्वारा जबरनगैर कानूनी तरीके से तोड कर असामाजिक तत्वों के सहयोग से चुरा लिया था जिसकी रिपोर्ट उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा गुलरभोज पुलिस चौकी में की गई है। शेष विवरण अतिरिक्त कथन में दिया जा रहा है।"

Paragraphs 22, 23,

"यह कि उत्तरदाता प्रतिवादी संस्था का कस्बा गुलरभोज में अपना एक रामलीला ग्राउण्ड है जिसकी लम्बाई पूरब पश्चिम 89 फिट, 133.5 फिट चौडाई उत्तर दक्षिण 180 फिट 226 फिट है जिसके चारों और प्रतिवादी संस्था द्वारा तारबाड लगा रखा है तथा ग्राउण्ड के पश्चिम की ओर एक पक्का स्टेट 30 X 35 फिट का बना रखा है प्रतिवादी संस्था द्वारा सन 86 से लगातार प्रतिवर्ष शरद ऋत में उक्त ग्राउण्ड में रामलीला का मंचन किया जाता रहा है।"

"यह कि स्थानीय नागरिकों द्वारा कस्बा गुलरभोज मे की जा रही रामलीला के लिये दुकानदार ऐसोसियेशन द्वारा वर्ष 1980 में एक प्रस्ताव पारित कर उक्त रामलीला ग्राउण्ड को जिसकी पैमाईश पूरब 90 फिट, पश्चिम 145 फिट है उ0 180 फिट, दक्षिण 250 फिट है को रामलीला मैदान के रूप में सुरक्षित रखने का प्रस्ताव पारित किया था प्रस्ताव के आधार पर उक्त वर्णित रामलीला मैदान रामलीला के लिये सुरक्षित भूमि है और उत्तरदाता प्रतिवादी सन 1986 के बाद तराई कला संगम रामलीला कमेटी का गठन एवं पंजीकरण वाद इस रामलीला मैदान का रखरखाव प्रबंध एवं नियत्रण किया जा रहा है रामलीला मैदान को चारों ओर से तारबाड से घेर कर सुरक्षित रखा हुआ है तथा मैदान के पश्चिम में रामलीला मंच बना हुआ है।"

Counter Claim

"यह कि उत्तरदाता प्रतिवादी रामलीला मैदान कमैटी द्वारा अपने रामलीला मैदान की सुरक्षा हेतु उसे चारो ओर सीमेंट के खम्भे लगााकर तारबाड व पक्की नींव बनाकर रामलीला मैदान की सीमा बन्द की हुई है। किन्तु वादी जबरन गैर कानूनी तरीके से उत्तरदाता प्रतिवादी के रामलीला मैदान के दक्षिण पूर्व हिस्से पर जबरन कब्जा करने की प्रयास में लगा हुआ है जिसके लिये उसने माह जनवरी सन 2000 के प्रथम सप्ताह में आसामाजिक

तत्वों के साथ मिलकर रामलीला मैदान में लगी हुई तारबाड को चुरा लिया था इस संबंध में दि0 30.1.2000 को उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा थाना पुलिसचौकी गुलरभोज में प्रथम सूचना रिर्पोट दे दी गई थी। किन्तु पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही न करने के कारण वादी के हौसले बुलन्द हो गये वह अपने प्रथाव एवं राजनीतिक सम्पर्क का प्रयोग कर जबरन रामलीला मैदान पर कब्जा करने के प्रयास में लगा हुआ है।"

As will appear from the pleading of the parties that since from the very initiation of the proceedings, there is a dispute with regard to the area of the school and the area occupied for the purpose of Ramleela.

Both the parties have submitted their maps. 28-Ga is the map which shows Ramleela Ground which separates the boundary of the school. The other map submitted by the plaintiff also shows the separate boundary of the School. Ramleela ground has been separately shown in the map.

Sri B.C. Pandey, Sr. Advocate has filed a counter affidavit. He has referred the following facts in his counter affidavit:

8. *That it is not worthy that at the time of making order dated 30.1.2001 disposing of botha the T.I. application of plaintiff and the defendant the trial court had directed for measurement of the property by commission consequently as per order dated 30.1.2001 contained in annexure 9 of the writ petition Smt. Sushila Mehta executed the commission and submitted her report along with map. That with in the time available to the deponent it is not possible to manage copy of the said report, however the deponent has with him a copy of map filed by Smt. Sushila Mehta Vakil Commissionder clearly showing the Ramlila Ground on the West and Zigyasa School and*

*its field on the east. The premises of Zigyasa Public School consist of main building towards sought and the filed towards its north a copy of said Map is being filed as Annexure S.C.A.-1.*

9. *That since the petitioner was violating the injunction order dated 30.1.2001 made contructions for which complaints had been given to the District Magistrate as well as to the police on 22.3.2004. At that stage the construction work was in progress and the deponent therefore, prayed for demolition of the constructions made by the petitioner upon the school premises. A copy of contempt petition dated 21.4.2004 which was registered as Misc. Case No. 8 of 2004 is annexed as Annexure S.C.A.-2.*

10. *That upon the said contempt application u/o 39 rule 2A C.P.C. the trail Court directed for inspection and report of the spot by Advocate commissioner Sri Vinod Joshi, his report filed by petitioner as Annexure 13 with the writ petition. The report was not only factually incorrect, the deponent filed objection dated 9.8.2004. A copy whereof is annexed as Annexure SCA-3.*

11. *That thereuon the trail court did not confirm the said commissioners report and issued fresh commission. Second commission was executed by Sri Sahid Hussain Advocate Commissioner. A copy of commission report along with map is filed as Annexure S.C.A.-4.*

12. *That the said commission report of sri Sahid Hussain is paper no. 126 ga in the records of trail Court and is*

*referred as paper no. 126ga. The petitioner has deliberately suppressed this document and practiced a fraud upon this Hon'ble Court by filing Annexure 13 instead.*

*13. That during pendency of the contempt application the deponent filed another application under section 151 C.P.C. which is filed by the petitioner as annexure 11 to his application, it is on this application the impugned order has been passed.*

A perusal of the record shows that there is an application under Order 39 Rule 2 C.P.C. pending before the Court below. The report of the Commissioner dated 5.7.2004 has also been annexed. The relevant paragraphs from the report are quoted below:

राम लीला मैदान की पश्चिमी पूर्वी व दक्षिणी सीमा पर पुरानी नीव पर दीवाल बनी हुई है दक्षिणी दीवार से जिज्ञासा पब्लिक स्कूल से लगी हुई है करीब 4.5 फिट उची कुछ दूरी तक निर्मित है जिसमें जिज्ञासा पब्लिक स्कूल का लोहे का गेट बाहर जाने आने हेतु लगा है गेट के पश्चिम की ओर बाहर एक खोखा पान का पड़ा हुआ है रामलीला मैदान के पूर्व में खडन्जा पश्चिम में गोशाला रोड दक्षिण में खडन्जा बाद अबादी तथ जिज्ञासा पब्लिक स्कूल का भवन व प्रागंण है तथा रामलीला मैदान के भीतर सिमेन्ट का गडा पीलर टूटा हुआ सतह के बराबर दिख रहा है जिसे नक्शा नजरी में दर्शाया गया है।

विवादित सील पर मौका मआयना से ज्ञात हुआ कि राम लीला मैदान के दक्षिणी दिशा की ओर जो दीवाल 4.5 फिट उॅची बनाई गर्ठ है वह पुरानी नीव पर ही निर्मित की गई है जो जिज्ञासा पब्लिक स्कूल की उत्तरी सीमा तथा रामलीला मैदान की दक्षिणी सीमा कहलाती है तत्पश्चात जिज्ञासा पब्लिक स्कूल निर्मित है।

Proceedings under Order 39 Rule 2 C.P.C. are still pending and in that proceedings the Vakil Commissioners submitted the report dated 21.9.2004. The relevant paragraphs in that report are quoted below:

विवादित स्थल के पूरब तरफ B बिन्दु तक बनी R.C.C दीवार के बाद लगभग 3.5 फुट की दीवारें B-C लगभग फुट तथा लगभग 25 फुट तथा B-F लगभग

30 फुट तथा D-G दीवारें ईटो से बनी है। D-F के बीच की दूरी भी लगभग 25 फुट है। C-D बिन्दुओं के बीच की माप लगभग 45 फुट है इसके ठीक बीचोंबीच एक तिरछा पटल बना है जिस पर तराई कला संगम श्री रामलीला मंच लिखा है। व इस लाइन के ठीक नीचे बीच में शंकरजी का चित्र बना है। इस तिरछे पटल के दोनों और चार चार स्टैप्स की दो सीढियॉ मंच पर चढने व उतरने हेतु बनी है। D-G दीवार से जुडी हुई इसी माप की दीवारें G-H व E-I बनी है जो रामलीला मंच व इससे संलग्न कक्ष में ऊपर तक मिटटी भरी है जिसमें थोडी घास भी है व हल्का सा बरसाती पानी भरा है।

पूर्वी R.C.C दीवार व रामलीला मंच तथा उसके साथ संलग्न कक्ष के ठीक पीछे पूरब B-G-F बिन्दुओं के बीच का भाग जमीन तक प्लास्टर किया हुआ है। खंडजा रास्ता के मोड पर S बिन्दु से दर्शित सत्य नारायण की दुकान है जहॉ से H बिन्दु तक ईटो की पुरानी दीवार बनी है।

"रामलीला प्रांगण में खडी इस दीवार व कमला जोशी के भवन के बीच का स्थल खाली है तथा कमला जोशाी के मकान से लगी पुरानी ईटों की नीवं दिखाई दे रही है इस खाली स्थल में कूडा करकट पडा है। कमला जोशी के भवन के बाद गौशाला रोड से लगती हुई धरातल के समतल चली आ रही नींव पर भी एक सीमेन्टेड R.C.C पिलर खडा है। यह नींव धर्मानंद के मकान के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई पूरब दिशा में मुड जाती है तथा यहॉ से पुनः90 डिग्री के कोण पर उत्तर दिशा में लगभग 10 फुट चलकर पुन 90 डिग्री के कोण पर मुड जाती है यहॉ कोने से करीब 5 फुट की दूरी पर इस नींव मे चार फुट उचॉ R.C.C सीमेन्टेड पिलर लगभग 3 x3 इंच का खडा है। यह नींव लक्ष्मी देवी के घर के आंगन से लगती हुई दयाशंकर के घर के सामने तक आ रही है यहॉ के बाद से यह नींव कीचड पानी के कारण दिखाई नही दे रही है। दयाशंकर के घर तथा रामलीला गेट के पश्चिमी पिलर के बीच भी एक एसी प्रकार का चार फुट ऊचॉ R.C.C सिमेन्टेड पिलर खडा है।

पिलर के ठीक बाद से रामलीला गेट के पश्चिमी पिलर पर चार फुट ऊॅची R.C.C की दीवारें प्लास्टर युक्त व चूना की हुई खडी है।"

It is not in dispute that the Ramleela is being staged by the petitioner earlier also in pursuance of the order dated 30.1.2001. The report of the commissioner dated 21.9.2004 cannot be a ground for altering the order at the time when Ramleela is going to start.

The Court below has not indicated that any change has been made by the petitioner so as to encroach the land of the school. The same is subject matter of dispute in proceedings under Order 39 Rule 2A of the Code of Civil Procedure.

From the copy of the plaint it appears that the plaintiff himself apprehended at the time of filing of the suit and thereafter by order of the court Ramleela was being staged. In the written statement and in the Counter claim the right of the plaintiff has been denied over the land and was alleged to have been earmarked for Ramleela.

Any injunction at this moment will not only be violative of religious spirit but also will detrimental to the public at large who has been looking forward for Darshan of Lord Ram and Sita. By showing the Ram Leela, the spirit and character of the students of the school will enlarged and there will be a teaching to the students on the subject i.e. Ram Charit Manas. The teachings of Goswami Tulsi Das which are being performed by way of Ram Leela should be made compulsory in all the schools and colleges so that the students may get themselves acquinted with Lord Rama who is known as symbol of truth.

Goswami Tulsidas has said in Ramcharit Manas as under:

नामु राम को कलपतरू कलि कल्यान निवासु।

जो सुमिरत भयो मॉग ले तुलसी तुलसीदास ।।

राम नाम नरकेसरी कनकसिपु कलिकाल ।

जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ।।

In the case Commr. H.R.E.vs. L.T. Swamiar, AIR 1954 SC 282, the Apex Court has held as under:

*"We now come to Art. 25 which, as its landguage indicates, secures to every person, subject to public order, health and morality, a freedom not only to entertain such religious belief, as may be approved of by his judgment and conscience, but also to exhibit his belief in such outward acts as he thinks proper and to propagate or disseminate his ideas for the edification of others.* **********

*Religion is certainly a matter of faith with individuals or communities and it is not necessarily theistic. There are well known religious in India like Buddhism and Jainism which do not believe in God or in any Intelligent First Cause. A religion undoubtedly has its basis in a system of beliefs or doctrines which are regarded by those who profess that religion as conducive to their spiritual well being, but it would not be correct to say that religion is nothing else but a doctrine or belief. A religion may not only lay down a code of ethical rules for its followers to accept it might prescribe rituals and observances, ceremonies and modes of worship which are regarded as integral parts or religion, and these forms and observances might extend even to matters of food and dress."*

In the words of Sat Sai Baba- "There is nothing greater than having love for God. Love is God and through love alone you can merge in God."

In the words of Swami Vivekanand- प्रत्येक जीव एक एक तारा है और ये सारे तारे ईश्वररूपी शाश्वत आकाश के नीले विमान में जडे हुए हैं। वहीं पर

सबकी जडें समायी हुई हैं सबकी सत्ता और सबका यथार्थ व्यक्त्वि वास्तव में वही पर है। इनमें से जो कुछ तारे हमारे क्षितिज को पार कर चले गये थे उन्ही की खोज में धर्म का पारम्भ हुंआ और उन सबको ईश्वर में पाने में तथा अपने को वही अवस्थित देखने में उसका अन्त हुआ।

Consequently the Court below is directed to decide the suit within a period of three months. While deciding the suit, the court below shall get the measurement of the area of the school from the settlement map and other relevant record, like title deeds etc. showing the actual measurement where the school is running and further the Court below shall get the land of Ram Leela bifurcated.

In view of the above, the order dated 5.10.2004 passed by the Civil Judge (Junior Division), Udham Singh Nagar is set aside. The parties are directed to abide the order dated 30.1.2001 for a period of three months only. The suit is also directed to be decided by that time. However, it is made clear that if any pucca stage etc. has been prepared, the same shall be subject to the final result of the suit. The petitioner undertakes to abide by the result of the suit.

Consequently the writ petition is allowed. The order dated 5.10.2004 is set aside. The respondents are directed not to interfere in the running of the Ram Leela of the petitioner.No order as to costs. Copy expedite.

**(Rajesh Tandon J.)**

13.10.2004

*Dhyani